राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।
टेलीफैक्स :– 0141–2222403, ई–मेलः–dlbrajasthan@gmail.com वेब साईटः– www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक :– एफ 55( )Engg./CE/DLB/17/ 4294–485 दिनांक :– 15/1/2018

आयुक्त नगर निगम समस्त
आयुक्त नगर परिषद समस्त
अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका समस्त।

विषयः– स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 के संबंध में।

आवासन एंव शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत किये जा रहे स्वच्छता से सम्बन्धित कार्यो को लेकर शहरों मे परस्पर प्रतिस्पर्धा बठाये जाने हेतु स्वच्छ सर्वक्षण की शुरूआत की गई।

4 जनवरी 2018 मे सभी निकायों (191 ULBs) का सर्वे प्रारंभ किया जा चुका है। स्वच्छ सर्वक्षण 2018 मे राज्य की सभी नगर निकायों के जनप्रतिनिधियों अधिकारियों/कर्मचारियों को आपसी तालमेल से मिलकर कार्य कर राज्य के शहरों की बेहतर रेकिंग लाने हेतु अभी से तैयारियां करनी होगी।

राज्य के सभी वार्डो/शहरों को खुले मे शौच से मुक्ति हेतु प्रत्येक निकाय को कार्य योजना बनाकर समयबद्व रूप से आवश्यक शौचालयों का निर्माण तेजी से करते हुये निर्धारित समयावधि में लक्ष्य हासिल करने हेतु अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। इसी प्रकार ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन के तहत घर–घर कचरा संग्रहण/ कचरे का परिवहन/प्रोसेसिंग एंव डिस्पोजल हेतु सभी आवश्यक कदम उठाने आवश्यक है।

राज्य के सभी वार्डो मे घर–घर कचरा संग्रहण के कार्य को तेजी से पूरा करना आवश्यक है, जिन वार्डो मे घर–घर कचरा संग्रहण पूर्ण होता जाता है, उनमें प्राथमिकता के आधार पर कचरे के स्त्रोत पर पृथक्कीरण हेतु हरा डिब्बा (गिले कचरे हेतु) तथा नीला डब्बा (सुखे कचरे हेतु) प्रयोग मे लाकर गिले कचरे (Bio-degradable Waste) को सीधे ही प्रोसोगिंक साइट पर भेजा जाकर उसमे कचरे की मात्रा के आधार पर वर्मी कम्पोस्टीग, मेकेनिकल कम्पोस्टीग किया जाना है। कचरे से प्रोसोगिंक के उपरान्त बचे रिजेक्ट को सेनेटेरी लेण्डफिल साइट पर वैज्ञानिक तरिके से डिस्पोजल करना है।

प्रत्येक नगर निकाय स्थानीय स्तर पर IEC के माध्यम से नागरिकों को स्वच्छता एप डाउनलोड कर स्वच्छता संबंधित शिकायत दर्ज कराने हेतु प्रेरित किया जावें। स्वच्छता सर्वक्षण 2018 हेतु प्रभावी कार्यवाही एंव तैयारियां प्रारंभ कर सभी घटकों पर आशातीत प्रगति करते हुये समयबद्व कार्यवाही करते हुये अच्छी रेकिंग लाने के प्रयास करने की आवश्यकता है।

यहां यह उल्लेखनीय है, कि स्वच्छ सर्वक्षण 2017 मे जिन शहरों की रेकिंग टॉप पर रही है उनमे निम्न कार्य प्रमुखतया शत प्रतिशत हो रहे है।

1- कचरे का घर–घर से स्त्रोत कर पृथक्कीरण करते हुये ओटो टीपर/ओटो होपर/बिन लिफ्ट /गारवेज ट्रक/काम्पेक्टर के माध्यम से संग्रहण एवं परिवहन सभी वाहनो/उपकरणों मे GPS System (Vehicle Tracking System) द्वारा मॉनिटरिंग प्रत्येक वार्ड मे स्वच्छताग्राही/स्वच्छादूत का मनोययन कर स्वच्छता के प्रति नागरिको को जागरूक किया गया है।

2- नागरिको को स्वच्छत सर्वक्षण के भागीदार बनने हेतु जागरूक किया गया है। IFC के तहत वार्ड स्तर/शहर मे समस्त गतिविधियों की गई है।

3. प्रत्येक वार्ड मे जो व्यक्ति कचरा इक्ठ्ठा करने का कार्य करते है (Informal waste pickers) को पहचान पत्र देकर उनको सफाई कार्य मे लगाया गया है।

4. प्रत्येक दिवस को Sweeping का कार्य करवाया जाता है। व्यस्तम इलाको, व्यावसायिक क्षेत्रों मे दिन मे दो बार झाडू/सफाई करायी जाती है। चिन्हित क्षेत्रो में रोड स्वीपर मे माध्यम से सफाई करवाई गई है।
5. सफाई कार्य मे लगे कार्मिको एवं अन्य स्टाफ की Bio-metric attandance करवायी जा रही है।
6. समस्त वार्ड/शहर शत प्रतिशत खुले मे शौचमुक्त घोषित कर QCI द्वारा सत्यापन कर प्रमाण पत्र जारी किये जा चुके है।
7. FM रेडियो पर जिंगल (Jingles) चलाये जा रहे है।
8. कर्मिको द्वारा e-course किया गया है।
9. नागरिकों द्वारा संबंधित एप के माध्यम से स्वच्छता से संबंधित शिकायतों दर्ज करवाया जाकर नगर निगम द्वारा उनका निवारण किया जा रहा है।

स्वच्छ सर्वक्षण 2018 हेतु तैयारियो हेतु दिशा–निर्देश सभी निकायों को भेजे जाने के उपरान्त कार्य की प्रगति की समीक्षा जिला स्तरीय समीक्षा एंव निगरानी समिति (DLRMC) तथा निकाय स्तर पर कमेटी की नियमित बैठक कर स्वच्छ सर्वक्षण 2018 मे अच्छे रेंक हासिल किये जाने मे सामुहित प्रयास किय जाने है।

स्वच्छ भारत मिशन के पोर्टल पर नगरीय निकायो द्वारा किये जा रहे कार्यो/गतिविधियो को अपलोड नही किये जाने के कारण वास्तव मे किये गये कार्य का स्वच्छ भारत मिशन पोर्टल पर प्रगति नजर नही आती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है, कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 हेतु उपरोक्तानुसार तैयारियां करते हुये अच्छी रैकिंग हेतु सतत प्रयास व्यक्तिगतरूचि लेकर आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न करावें तथा किये गयी कार्यवाही यथा घरेलू शौचालयो का निर्माण, सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयो का निर्माण, डोर–टू–डोर कलेक्शन, वार्ड/शहर ओडीएफ घोषित होनी की जानकारी, कम्पोस्ट खाद बनाने की जानकारी, स्वच्छता एप डाउनलोड, सिटीजन फिडबैक इत्यादि समस्त जानकारी स्वच्छ भारत मिशन के पोर्टल पर आवश्यक रूप से अपलोड करवावें।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक :– एफ 55( )Engg./CE/DLB/ 16/ 4486–4503 दिनांक :– 15/1/2018

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख शासन सचिव माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग।
3. संयुक्त सचिव, मिशन निदेशक स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) आवासन एंव शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
5. निजी सचिव, निदेशक (स्वच्छता)
6. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव स्वायत्त शासन विभाग।
7. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय।
8. निजी सहायक मुख्य अभियंता निदेशालय।
9. मुख्य लेखाधिकारी निदेशालय।
10. उपनिदेशक क्षैत्रीय समस्त।
11. प्रोगामर निदेशालय विभागीय बेवसाईट पर अपलोड किया जाने हेतु।
12. सुरक्षित पत्रावली।

(भूपेन्द्र माथुर)
मुख्य अभियंता

D:\Kala ji\Hindi Letter .docx